झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

त्रयोदश–सत्र
वर्ग–03

07 फाल्गुन, 1935 (श0)

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :----------को
26 फरवरी, 2014 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

कमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(101)–	अ0सू0–24	श्री नलिन सोरेन	पेयजल की व्यवस्था।	पेयजल एवं स्वच्छता	21.02.14
(102)–	अ0सू0–17	श्री जनार्दन पासवान	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	20.02.14
(103)–	अ0सू0–01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पथ का स्थानांतरण।	पथ निर्माण	14.02.14
(104)–	"क"उ0मु0अ0सू0–04	श्री बन्ना गुप्ता	योजना का कार्यान्वयन।	नगर विकास	17.02.14
(105)–	अ0सू0–15	श्री बंधु तिर्की	जलापूर्ति की व्यवस्था।	पेयजल एवं स्वच्छता	19.02.14
(106)–	अ0सू0–08	श्री सौरभ नारायण सिंह	आवास उपलब्ध कराना।	नगर विकास	17.02.14
(107)–	अ0सू0–16	श्री बंधु तिर्की	इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी की व्यवस्था।	नगर विकास	19.02.14
(108)–	अ0सू0–02	श्री उमाकांत रजक	पदोन्नति मामले का निबटारा।	पथ निर्माण	16.02.14
(109)–	अ0सू0–23	श्री नलिन सोरेन	पानी मुहैया कराना।	पेयजल एवं	21.02.14
(110)–	अ0सू0–25	श्री दीपक बिरुवा	पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई।	ग्रामीण कार्य	21.02.14
(111)–	अ0सू0–19	श्री माधवलाल सिंह	जलापूर्ति सुनिश्चित कराना।	पेयजल एवं	20.02.14
(112)–	अ0सू0–21	श्री रघुवर दास	अतिक्रमण हटाना।	नगर विकास	20.02.14

कृ0पृ0उ0.....2

01	02	03	04	05	06
(113)-	अ0सू0-14	श्री प्रदीप यादव	बी0पी0एल0 सूची का प्रकाशन।	ग्रमीण विकास	18.02.14
(114)-	अ0सू0-18	श्री माधवलाल सिंह	राशि का वितरण।	पंचायती राज	20.02.14
(115)-	अ0सू0-13	श्री निजामुउद्धीन अंसारी	प्रखण्ड का दर्जा।	ग्रामीण विकास	18.02.14
(116)-	अ0सू0-10	श्री अरविन्द कुमार सिंह	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	18.02.14
(117)-	अ0सू0-07	श्री विद्युत वरण महतो	परिवहन निगम का गठन।	परिवहन	17.02.14
(118)-	अ0सू0-20	श्री जनार्दन पासवान	सीमा शुल्क का उपबंध।	परिवहन	20.02.14
(119)-	अ0सू0-11	श्री अमित कुमार यादव	पथों का चौड़ीकरण।	पथ निर्माण	18.02.14
(120)-	अ0सू0-09	श्री अरविन्द कुमार सिंह	पुल की लम्बाई बढ़ाना।	ग्रामीण कार्य	18.02.14
(121)-	अ0सू0-03	श्री विनोद कुमार सिंह	स्थायी समिति का गठन।	पंचायती राज	16.02.14
(122)-	अ0सू0-05	श्री बन्ना गुप्ता	आवासीय कॉलोनी का निर्माण।	नगर विकास	17.02.14
(123)-	अ0सू0-22	श्री कमल किशोर भगत	नलकूप हेतु अनुशंसा।	पेयजल एवं स्वच्छता	20.02.14

नोटः- ''क''-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक-799,दिनांक-19.02.2014 के द्वारा नगर विकास विभाग में स्थानान्तरित।

राँची
दिनांकः-26.02.1014 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-794/वि0स0,राँची,दिनांकः-23 फरवरी,2014 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-794/वि0स0,राँची,दिनांकः-23 फरवरी,2014 ई0।

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक सचिवीय कार्यालय, को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्ण/

(101)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.2.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–24 का उत्तर

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखंड शिकारीपाड़ा अंतर्गत पंचायत–सीमानीजोर, शहरपुर, बांसपहाड़ी, बांकीजोर, चीत्रागढ़ीया, मलुटी, पीन्डरशरीया, झुनकी, सरस डंगाल आदिवासी बहुल क्षेत्र है,	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पंचायतों के 50 गॉव के ग्रामीण चुआ, डाड़ी, नालों का पानी पीने को विवश है,	अस्वीकारात्मक । क- वर्त्तमान में सीमानीजोर पंचायत की कुल आबादी– 5284 व्यक्ति है, जिन्हें 131 अदद नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है इस प्रकार लगभग प्रत्येक–40 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। ख–शहरपुर पंचायत की कुल आबादी 5915 व्यक्ति है, जिन्हें 83 अदद नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक–71 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। ग–हीरापुर पंचायत की कुल आबादी–5497 व्यक्ति है, जिन्हें 91 अदद नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक 60 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। घ–बांसपहाड़ी पंचायत की कुल आबादी–5171 व्यक्ति है, जिन्हें 78 अदद नलकूप से पेयजल उपलब्ध है। इस प्रकार प्रत्येक–66 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। ड़–बांकीजोर पंचायत की कुल आबादी–5270 व्यक्ति है जिन्हें 93 नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक 57 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। च–चीत्रागढ़ीया पंचायत की कुल आबादी 6323 व्यक्ति है, जिन्हें 68 नलकूप द्वारा पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक–93 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। छ–मलुटी पंचायत की कुल आबादी 6539 व्यक्ति है जिन्हें 119 अदद नलकूप द्वारा पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक–55 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत हे। ज–पीन्डरशरीया की कुल आबादी 6418 व्यक्ति है, जिन्हें 85 अदद नलकूप द्वारा पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक 76 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। झ–झुनकी पंचायत की कुल आबादी 6499 व्यक्ति है, जिन्हें 92 अदद नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक–71 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। ञ–सरस डंगाल पंचायत की आबादी 6491 व्यक्ति है, जिन्हें 105 अदद नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक–62 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार प्रति–250 व्यक्ति पर एक कूप निर्धारित है।

3	क्या यह बात सही है कि गर्मी के दिनों में उक्त पंचायतों के ग्रामीणों को पानी के लिए काफी तकलीफ उठानी पड़ती है,	आंशिक स्वीकारात्मक। इन क्षेत्रों में गरमी के दिनों में जलस्तर अपेक्षा से अधिक नीचे चले जाने के कारण कुछ नलकूप अपनी क्षमता के अनुसार जल नहीं दे पाता है। अतः आगामी वित्तीय वर्षों में इन क्षेत्रों में पाईप लाईन से जलापूर्ति हेतु सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार शिकारीपाड़ा के उपरोक्त पंचायतों के ग्रामीणों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पानी मुहैया कराना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/अ0सू0–13/13– 932 दिनांक– 24/2/14

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची के ज्ञापांक–675 दिनांक 21.2.14 के कम में उत्तर की 200 प्रति अग्रसारित।

24.02.14

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

(102)

मा0, स0वि0स0, श्री जनार्दन पासवान द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत जोरी – प्रतापपुर कुन्दा – लावालौंग – सिमरिया – बगरा पथ जिसकी दूरी 71 कि0मी0 है का निर्माण विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पथ निर्माण नहीं होने से वहाँ के निवासियों का आवागमन में कठिनाई होती है साथ ही चतरा जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पक्की सड़क नहीं रहने के कारण प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड – 1 में वर्णित पथों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	जोरी – प्रतापपुर – कुंदा – लावालौंग – बगरा पथ जिसकी लम्बाई 68 कि0मी0 है, जो ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत है। बगरा से सिमरिया पथ (लम्बाई 09 कि0मी0) जिसका मरम्मति कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। पथ की स्थिति अच्छी है। बगरा मोड़ से लावालौंग – पांकी एवं जोरी – प्रतापपुर – कुंदा – लावालौंग पथ का DPR प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–04 / 2014 1597 (5) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 609 दिनांक 20.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–04 / 2014 1597 (5) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(103)

मा0, स0वि0स0, श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के चान्हों एवं खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत चामा मैक्लुस्कीगंज पथ ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के अधीन आता है ; 2. क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज विश्व का प्रथम एंग्लो इंडियन ग्राम है तथा यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ; 3. क्या यह बात सही है कि यह पथ टी0 रोड, डोभी, चतरा, सिमरिया, बालूमाथ, मैक्लुस्कीगंज, चामा पथ झारखड की राजधानी राँची को जोड़ती है तथा इस पथ के निर्माण होने से जी0टी0 रोड से राँची की दूरी 40 कि0मी0 कम हो जाएगी ; 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पथ पी0डब्लू0डी0 पथ में स्थानांतरित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	संदर्भित पथ का पथ निर्माण विभाग में हस्तांनातरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। निधि की उपलब्धता के आधार पर संदर्भित पथ के पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण एवं इसके निर्माण के बिन्दु पर आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–01 / 2014 1600 (S) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को ज्ञापांक 200 दिनांक 14.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–01 / 2014 1600 (S) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

योजना का कार्यान्वयन ।

104/ श्री बन्ना गुप्ता--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मानगो जलापूर्ति योजना का शिलान्यास 28 जुलाई, 2009 को हुआ था एवं जिसे पूरा किए जाने का समय अगस्त, 2011 था;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलन तैयार नहीं किए जाने के कारण अब भी 105 किलोमीटर क्षेत्र के निवासी के घरों में पेयजल का कनेक्शन नहीं पहुँच पाया है;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रभारी मंत्री द्वारा पुराने कनेक्शनधारी लोगों के बकाया को माफ किए जाने की बात कही गई थी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बचे हुए क्षेत्र का प्राक्कलन तैयार करते हुए एवं पुराने कनेक्शनधारी के बकाये को माफ कर मानगो जलापूर्ति योजना आरंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) मानगो शहरी जलापूर्ति योजना के तहत् छुटे हुए भाग का परामर्शी IPE GLOBEL, NEW DELHI }द्वारा Final DPR समर्पित किया गया है । जिसके अनुसार कुल 113.5 किलामीटर पाईप लाईन बिछाया जाना है । परामर्शी द्वारा प्राप्त Final DPR को Apprisal हेतु विशेष पदाधिकारी, मानगो अ०क्षे०स० जमशेदपुर के पत्रांक 116 दिनांक 3 फरवरी, 2014 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, आदित्यपुर को उपलब्ध कराया गया है ।

(3) हाँ । बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के आदेश संख्या 99/रा०, दिनांक 15 जनवरी, 2014 (प्रति संलग्न) द्वारा मानगो अ०क्षे०स० के अन्तर्गत पेयजल उपभोक्ताओं के नाम जलकर बकाया राशि की जाँच हेतु चार सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया है ।

(4) मानगो शहरी जलापूर्ति योजना का DPR तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् प्राप्त होने पर शेष पाइप लाइन विस्तारीकरण पर विचार किया जायेगा ।

पुराने कनेक्शनधारी के बकाये को माफ करने के संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा एक जाँच कमिटी का गठन किया गया है । जाँच कमिटी के जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर पुराने कनेक्शनधारियों के बकाया राशि को माफ करने के संबंध में निकाय द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

105

श्री बन्धु तिर्की, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक–26.02.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–15 का उत्तरः–

सूचना	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि राँची शहर के कांके हटिया एवं रूक्का जलाशय से ही राँची नगर निगम क्षेत्र के सभा वार्डों में जलापूर्ति की जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रूक्का जलाशय से 22.00 MGD, हटिया जलाशय से 6.00 MGD एवं कांके जलाशय से 3.00 MGD पानी राँची नगर निगम क्षेत्र के वार्डो में आपूर्ति की जाती है।
2) क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम के सभी वार्डो में वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में उक्त जलाशयों से जेल आवंटन कर जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कांके हटिया एवं रूक्का जलाशयों से नगर निगम के सभी वार्डो में जनसंख्या के अनुपात में जल आवंटन कर जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राँची नगर निगम क्षेत्र में *Jn*NURM अन्तर्गत 114MLD(25 MGD) की जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है। Missing Link योजना में 4 पाईप लाईन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। शेष 6 प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। उक्त सभी योजना 2 वर्षों में पूर्ण कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः– 5/न0वि0/अल्पसूचित–16/2014 -857/न0वि0वि0 राँची, दिनांक :– 25-02-14

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–558 वि0स0, राँची, दिनांक–19.02.2014 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री सौरभ नारायण सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–08का उत्तर सामग्री :–

क्र0सं0	अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर राजीव गाँधी आवास योजना के तहत् विभिन्न वार्डों में शहरी गरीबों के लिए 5000(पाँच हजार) लोगों का नाम सूचीबद्ध किया गया है ।	हजारीबाग नगर परिषद् द्वारा लाभुकों की सूची विभाग को अप्राप्त है ।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार के पत्रांक–545 दिनांक–10.02.2014 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद हजारीबाग को सूचीबद्ध नामों का जाँचोपरांत डी0पी0आर0 बनाने का आदेश दिया गया है ।	स्वीकारात्मक है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शहरी गरीबों के लिए अतिरिक्त डी0पी0आर0 बनाकर आवास उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब, नहीं तो क्यो ?	विभाग के स्तर से निकाय को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत डी0पी0आर0 बनाए जाने का आदेश दिया गया है । निकाय द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कराए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है । निकाय द्वारा विभाग को डी0पी0आर0 समर्पित किए जाने के पश्चात् राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSMC) से स्वीकृति प्राप्त कर केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति(CSMC), शहरी गरीबी एवं उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांक:–2/न0वि0/वि0स0प्र0(शून्यकाल)–12/2012–730. रॉंची, दिनांक– 20-02-14.

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय के पत्रांक–348 दिनांक–17.02.14 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/2/14

(ब्रह्मदेव राम)

सरकार के अवर सचिव ।

(108)

मा0, स0वि0स0, श्री उमाकान्त रजक द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 -- अ0सू0 – 02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के 1987 एवं उसके बाद के नियुक्त सहायक अभियंताओं की पदोन्नति लंबित है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इनलोगों का 26 वर्षों से लंबित पदोन्नति के मामले का निपटारा करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा रोस्टर क्लीयरेंस एवं रिक्त पदों के उपलब्धता के आधार पर प्रोन्नति की कार्रवाई की जाती है। उक्त आलोक में ही कोटिवार पदों की उपलब्धता होने पर सभी कोटि के सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति प्रदान की गयी है। वर्त्तमान में भी अभियंताओं के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0–02 / 2014 1599(S) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 234 दिनांक 16.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0–02 / 2014 1599(S) राँची / दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(109)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.2.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–23 का उत्तर

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखंड रानेश्वर अंतर्गत पंचायत–ताल डंगाल, मोहलबन्ना, हरिपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है,	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों के 25–30 गॉव के ग्रामीण चुआ, डाड़ी, नालों का पानी पीने को विवश है,	अस्वीकारात्मक । i-वर्त्तमान में ताल डंगाल पंचायत की कुल आबादी– 5434 व्यक्ति है जिन्हें 77 अदद नलकूप से पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार लगभग प्रत्येक–71 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। ii-मोहलबन्ना पंचायत की कुल आबादी 5177 व्यक्ति है, जिन्हें 92 अदद नलकूप द्वारा पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक–56 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। iii-हरिहरपुर पंचायत की कुल आबादी–6108 व्यक्ति है, जिन्हें 149 नलकूप द्वारा पेयजल उपलब्ध होता है। इस प्रकार प्रत्येक 41 व्यक्ति पर एक नलकूप कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार प्रति 250 व्यक्ति पर एक नलकूप निर्धारित है।
3	क्या यह बात सही है कि गर्मी के दिनों में उक्त पंचायत के ग्रामीणों को पीने का पानी के लिए काफी तकलीफ उठाना पड़ता है,	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार प्रखंड– रानेश्वर के उक्त पंचायतों के ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पानी मुहैया कराना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका–।। में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/अ0सू0–12/13– 933 दिनांक– 24/2/14

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची के ज्ञापांक–674 दिनांक 21.2.14 के कम में उत्तर की 200 प्रति अग्रसारित।

24-02-14

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

(111)

श्री माधवलाल सिंह, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 26.2.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–19 का उत्तर

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –		श्री जयप्रकाश भाई पटेल (विभागीय) मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड के आदर्श ग्राम सियारी में पेयजल की भारी दिक्कत है,	अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सियारी ग्राम की कुल आबादी 1636 व्यक्ति को 20 चालू नलकूप द्वारा पेयजल उपलब्ध होता है। यह निर्धारित मापदण्ड (प्रति 250 व्यक्ति पर एक चापाकलों से अधिक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित ग्राम सियारी में अनुसूचित जन जाति के लोगों की बहुलता है, तथा वहॉ के लोग तालाब तथा जोरिया का पानी पीने के कारण हमेशा डायरिया मलेरिया जैसे गंभीर बिमारी से ग्रसित रहते है, तथा असमय मौत के शिकार हो रहे हैं,	स्वीकारात्मक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सियारी की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति–938, अनुसूचित जाति–382, सामान्य– 316 है। विमारियों से संबंधित ऑकड़ा इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखंड के आदर्श ग्राम सियारी में ग्रामीण जलापूर्ति योजनान्तर्गत डीप बोरिंग कराकर पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित कराना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–7/अ0सू0–10/13– 925 दिनांक– 24/2/14

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–605 दिनांक 20.2.14 के क्रम में उत्तर की 200 प्रति अग्रसारित।

24.02.14
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
24/02/14

(112)

श्री रघुवर दास, माननीय स०वि०स० द्वारा अल्प सूचित प्रश्न संख्या–21 के लिए उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर के काशीडीह, न्यू सीताराम डेरा, नेहरू कॉलोनी, भूईयाडीह बगान तथा निर्मल नगर ह्यूमपाइप बस्ती के पानी निकाली के लिए जो गरमनाला (बडानाला) अवस्थित है उस नाला को कुछ दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया हैः	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस संबंध में ह्यूमपाईप बस्ती के नागरिकों द्वारा 12.10.2012 एवं 30.07.2013 को तथा प्रश्न कर्त्ता सदस्य द्वारा अगस्त 2013 में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को अतिक्रमण की सूचना देते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया गया थाः	स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो उपर वर्णित नाला जिसके अतिक्रमण के कारण काशीडीह, न्यू सीताराम डेरा, ह्यूमपाईप वस्ती के घरों में पानी घुस जाता है, को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में ह्यूमपाईप बस्ती के घरों के पानी निकासी हेतु नगर विकास विभाग के निधि से नाला निर्माण करा दिया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–7/न०वि०/ अ०सू०/101/2014-851 दिनांक– 25-02-14.

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–603/वि०स०, दिनांक–20.02.2014 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/2/14

सरकार के उप सचिव।

(113)

दिनांक–26.02.2014 को सदन में पूछा गया अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0स0–14

प्रश्नकर्त्ता –श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. यह यह बात सही है कि की झारखण्ड सरकार ने इंदिरा आवास, वृद्धा पेशन, एवं अन्य योजनाओं हेतु बी0पी0एल0 सूची वर्ष 2002 को आधार मानती है ।	आंशिक स्वीकरात्मक। वर्तमान में बी0पी0एल0 सूची 2002 को आधार मानते हुए इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में इसे पुनरीक्षित किया जा सकता है ।
2. क्या यह बात सही है कि पांच वर्षो के बाद 2007 में बी0पी0एल0 सर्वे हुआ लेकिन सूची का प्रकाशन अबतक नही किया गया है ।	वर्तमान में वर्ष 2002 की बी0पी0एल0 सूची को आधार मानते हुए इंदिरा आवास का लाभ दिया जा रहा है । वर्ष 2007 में पुनरीक्षित सर्वेक्षण उपरांत सभी जिलों में अतिरिक्त परिवारों को पुनरीक्षित बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित करते हुए विभागीय अधिसूचना 2010 में निर्गत की गई है परन्तु इन अतिरिक्त परिवारों को केवल खाद्यान वितरण की योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु मान्यता दी गई है ।
3. क्या यह बात सही है कि इन विसंगतियों के कारण वास्तविक गरीबों को लाभ नही मिल पा रहा है	आंशिक स्वीकरात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 2007 में हुए बी0पी0एल0 सर्वे सूची का प्रकाशन कर वास्तविक गरीबों को उपरोक्त योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है हॉ तो, कब तक, नही तो क्यो?	वर्तमान में राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जगनणना का कार्य प्रगति पर है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात इंदिरा आवास के लाभुक के चयन हेतु स्थाई प्रतीक्षा सूची को पुनरीक्षित किया जायेगा ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–1290 / 08–12 / 2014 / राँची, दिनांकः–25.2.14

प्रतिलिपिः–श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड / अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–424 दिनांक– 18.02.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित ।

25/2/14

सरकार के उप सचिव ।

114

श्री माधव लाल सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–18 का उत्तर प्रतिवेदन

क0	प्रश्नकर्ता श्री माधवलाल सिंह, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला सहित सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में विभाग द्वारा आवंटित राशि जिला परिषद के माध्यम से खर्च किया जा रहा है ?	स्वीकारात्मक है ।
2	क्या यही बात सही है कि पंचायती राज अधिनियम अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के बीच बी0आर0जी0एफ0 मार्ग दर्शिका के अनुसार जिला में आवंटित राशि को 60% मुखिया, 20% पंचायत समिति तथा 20% जिला परिषद को खर्च करने का ही प्रावधान है ?	बी0आर0जी0एफ0 की संशोधित मार्गदर्शिका (दिनांक 28.01.2011) के अनुसार बी0आर0जी0एफ0 की राशि को त्रिस्तरीय पंचायतों में बांटने के बिन्दु पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (HPC) द्वारा निर्णय लिया जाना है । दिनांक 11.06.2012 को HPC द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक पंचायत में पंचायत भवन के निर्माण होने तक राशि पूर्व की भांति जिला परिषद को आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया है । जबकि दिनांक 31.01.2014 को HPC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष (2014–15) से त्रिस्तरीय पंचायत को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को क्रमशः **60:20:20** के अनुपात में राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित राशि खर्च करने में खण्ड 2 में वर्णित पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन किया जा रहा है?	वस्तुस्थिति कंडिका 1 एवं 2 में स्पष्ट कर दी गई है ।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोकारो जिला सहित सम्पूर्ण झारखण्ड में बी0आर0जी0एफ0 की राशि का बंटवारा में नियमों का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायतों को नियम पूर्व राशि वितरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति उपरोक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग ।

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–45/2014530------/**, राँची, दिनांकः**–25/2/14

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 611 दिनांक 20.02.2014 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14
सरकार के उप सचिव

115

श्री निजामुद्दीन अंसारी, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा चलते अधिवेशन में तिथि–26.02.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–13

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तरदाता–माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड के पत्र संख्या–6581 दिनांक–27.10.2011 को समाचार पत्र में संख्या–1201 दिनांक–28.02.2012 द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से नया प्रखण्ड सृजन का प्रस्ताव सभी उपायुक्तों/उप विकास आयुक्तों/प्रमण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से मांग की गई है,	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के राजधनवार प्रखण्ड से 13 पंचायत काटकर नया घोड़थम्बा प्रखण्ड, 13 और पंचायत काटकर नावागढ़चट्टी प्रखण्ड एवं गाँवों से 8 पंचायत काटकर पिहरा प्रखण्ड सृजन करने का प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन है,	अस्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–II वर्णित स्थानों पर प्रखण्ड को दर्जा देना चाहती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यो ?	समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 1329 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 25.02.14
1–वि0स0–09 (बी0)/2014 ग्रा0वि0

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञापांक–425 दिनांक–18.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 1329 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक 25.02.14
1–वि0स0–09 (बी0)/2014 ग्रा0वि0

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवलाय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/2/14
सरकार के अवर सचिव।

116

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रशन संख्या–अ0सू0–10 का उत्तरः–

सूचना	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि आदित्यपुर कांड्रा मार्ग पर आदित्यपुर में दिदली बस्ती अवस्थित है, जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड एवं प्राईवेट लगभग 10 हजार मकान एवं वहाँ 30–40 हजार आबादी रहती है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 1177 (एक हजार एक सौ सत्तहत्तर) मकान एवं 22,290 (बाईस हजार दौ सौ नब्बे) आबादी है।
2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त बस्ती में पेयजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण आमजन को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।	स्वीकारात्मक है।
3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2014–15 में पानी टंकी बना कर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो, कबतक नही तो क्यों?	उक्त कार्य हेतु शहरी निकाय द्वार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग केन्द्रीय रूपांकन संगठन (सी0डी0ओ0) से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त डी0पी0आर0 एवं भूमि की उपलब्धता एवं अन्य संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर पेयजलापूर्त्ति योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः– 5/न0वि0/अल्पसूचित–12/2014 –802 /न0वि0वि0 राँची, दिनांक :– 22-02-14.

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–426, दिनांक–18.02.2014 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/2014

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

(117)

दिनांक 26.02.2014 को माननीय श्री विद्युत वरण महतो, स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या -07 की उत्तर सामग्री :-

	प्रश्नकर्त्ता श्री विद्युत वरण महतो स0वि0स0		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि सन 2000 में स्वीकृत बिहार से झारखण्ड राज्य के अलग होने के पश्चात् परिवहन निगम का अधिकांश परिसम्पत्तियों का बँटवारा हो गया, किन्तु झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम का गठन न होने के कारण यह निगम अब भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन है।	–	उत्तर अस्वीकारात्मक है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-176 दिनांक-28.02.2009 द्वारा सन 2009 में **जैसे है एवं जहाँ है** के आधार पर झारखण्ड राज्य में अवस्थित पथ परिवहन निगम के 4 प्रभाग यथा, राँची, जमशेदपुर, धनबाद एवं दुमका में अवस्थित आस्तियों एवं दायित्वों (बसों को छोड़करा) भंडार तथा क्षेत्रीय कर्मी झारखण्ड सरकार के अधीन कर दिया गया। अत: परिवहन निगम की परिसम्पत्तियाँ बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन नही है।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में निगम की परिसम्पति लगभग चार हजार करोड़ की है, किन्तु बसों की संख्या मात्र सौ के आस-पास है जिनमें अधिकांश जर्जर अवस्था में है जिसके कारण आम् जनता को सरकार द्वारा मुहैया की जाने वाली सस्ती परिवहन सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है।	–	राज्य पथ परिवहन निगम कर्मियों को विभागीय ज्ञापांक -1138-1144 दिनांक 31.10.2013 के द्वारा राज्य सरकार में समायोजित कर लिया गया है। राज्य सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए प्राईवेट वाहन स्वामियों को विभाग के द्वारा अनेक मार्गो के लिए स्थायी/अस्थायी परमिट निर्गत किया गया है। जिससे यात्रियों को सुविधा प्राप्त हो रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम का गठन करने तथा आवश्यक्ता के अनुसार नयी बसें खरीद कर इसे पुनर्जीवित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तों क्यों?	–	इस संबंध में यथाशीध्र समुचित निर्णय लिया जाएगा ।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – परि0वि0 (विधानसभा)–23/2014 168 /राँची,दिनांक 28/02/14

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्र संख्या–346 दिनांक 17.02.2014 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ तथा मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

22.2.14

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग।

06.03.2014

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

(118)

दिनांक 26.02.2014 को श्री जर्नादन पासवान, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या - अ0सू0-20 की उत्तर सामग्री :-

	प्रश्नकर्त्ता श्री जर्नादिन पासवान स0वि0स0		उत्तर माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में दूसरे राज्य से आने वाले वाहनों से सीमा शुल्क लेने का प्रावधान अभी तक नही बना है।	–	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड करारोपण अधिनियम, 2002 (विभागीय अधिसूचना संख्या -171/राँची, दिनांक 18.01.2002) के द्वारा सीमा शुल्क झारखण्ड राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से सीमा शुल्क निर्धारित दर पर लिया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि दूसरे राज्यों द्वारा उनकी सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों द्वारा सीमा शुल्क लिया जाता है;	–	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से सीमा शुल्क नही लेने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है;	–	उत्तर अस्वीकारात्मक है। कंडिका-1 के आलोक में प्रश्न नही उठता है।
4	अगर उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार झारखण्ड राज्य में भी अन्य राज्यों से आनेवाले वाहनों पर सीमा शुल्क निर्धारित करने का प्रावधान चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – परि0वि0 (विधानसभा)-26/2014 ......164....../राँची,दिनांक 22/02/14

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्र संख्या-602 दिनांक 20.02. 2014 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ तथा मंत्रिमण्डल एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

22.2.14

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग।

06.03.2014

(119)

मा0, स0वि0स0, श्री अमित कुमार यादव द्वारा दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 11 का उत्तर प्रतिवेदन :--

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-- 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत ईचाक मोड़ से बरकठ्ठा एवं बरकठ्ठा से तेतरौन मोड़ मुख्य सड़क है, जो दो जिला क्रमशः हजारीबाग एवं कोडरमा को जोड़ती है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथों का चौड़ीकरण नहीं होने से यातायात की समस्या बनी रहती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में उक्त पथों का चौड़ीकरण कार्य कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	ईचाक मोड़ से बरकठ्ठा (कुल लंबाई 31.383 कि0मी0) तथा बरकठ्ठा से तेतरौन मोड़ (कुल लंबाई 32.10 कि.मी.) का डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08--अ0सू0--03/2014 1598 (s) राँची/दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान--सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 427 दिनांक 18.02.2014 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08--अ0सू0--03/2014 1598 (s) राँची/दिनांक : 25.2.14

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(असीम कुमार सरखेल)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(120)

श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछे जानेवाला आल्प सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–09

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरविन्द कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0,	**श्री साईमन मरांडी, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग**
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला खरसावॉ जिला के चाण्डिल अनुमण्डल अन्तर्गत ईचागढ़ और पातकुम के बीच करकरी नदी पर विशेष प्रमण्डल द्वारा 10 करोड़ रूपये की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि ईचागढ़ और पातकुम के बीच करकरी नदी पर विशेष प्रमण्डल द्वारा पूर्व से ही पुल निर्मित है।
2. क्या यह बात सही हैं कि चाण्डिल डैम के जल स्तर बढ़ जाने पर पुल का ईचागढ़ छोर डूब जाता है जिससे निर्मित पुल का औचित्य ही समाप्त हो जा रहा है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि डैम का पानी उच्चस्तर तक जाने की स्थिति में पुल पूर्णतः डुब जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल सिल्ली, कुकदु एवं पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिला को जोड़ने का एक मात्र साधन है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस पुल की लंबाई 3000 फीट बढ़ाकर वर्णित प्रखण्डों एवं सैकड़ो ग्रामों के आवागमन को सुगम बनाये रखने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि डैम का पानी अपने उच्चस्तर पर पहुँच जाने की स्थिति में भविष्य में पुल डुब सकती है। इसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरांत इस संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)– 62/2014/ग्रा0का0 691 राँची, दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 – 429 वि0स0 दिनांक 18.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)– 62/2014/ग्रा0का0 691 राँची, दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)– 62/2014/ग्रा0का0 691 राँची, दिनांक– 24-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (प्रभारी विधानमंडलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 26.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0– 03 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जिला परिषद व पंचायत समिति के गठन के बावजूद अब तक इसके तहत स्थायी समितियों का गठन नहीं हो पाया है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 72 (1) के आलोक में पंचायत समिति एवं जिला परिषद के अपने निर्वाचित सदस्यों में से स्थाई समितियाँ गठित किए जाने का प्रावधान है । अधिकांश जिलों में दोनों स्तर पर समितियाँ गठित कर ली गई हैं । शेष जिलों में समिति गठन की कार्रवाई की जा रही है ।
(2) यदि उपरोक्त स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पंचायती व्यवस्था के सशक्तिकरण हेतु स्थायी समितियों के गठन की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–38/2014–529/, राँची, दिनांकः–25/2/14

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 233 दिनांक 16.02.2014 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/14
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 1स्था(वि0)–38/2014–529/, राँची, दिनांकः– 25/2/14

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

25/2/14
सरकार के उप सचिव

(122)

श्री बन्ना गुप्ता, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 05 का उत्तर सामग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जे0एन0यू0आर0एम0 की बी0एस0यू0पी0 के तहत गरीबो को मकान दिये जाने की योजना जमशेदपुर में किए जाने हेतु वर्ष 2009 अक्टूबर में आरंभ की गई थी?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है।	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में 6.91 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित कर निःशुल्क हस्तान्तरण की प्रक्रिया में है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूखण्ड का चयन कर बी0एस0यू0पी0 योजना के तहत गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाये जाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तों क्यो?	वर्तमान में जे0एन0यू0आर0एम0 की बी0एस0यू0पी0 योजना के बदले राजीव आवास योजनान्तर्गत शहरी गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनी निर्माण किया जाना है। प्रथम चरण में जमशेदपुर अ०क्षे०स० क्षेत्रान्तर्गत देवनगर, बाराद्वारी में 388 अदद् आवास निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा डी०पी०आर० की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः– 4/न0वि0/वि0स0–04/2014–798. राँची, दिनांक– 22-02-14.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक संख्या –347 दिनांक–17.02.2014 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

22/2/14
(ब्रह्मदेव राम)
सरकार के अवर सचिव

123

माननीय विधायक श्री कमल किशोर भगत, स०वि०स० झारखण्ड द्वारा दिनांक–26.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या पेय–22 का उत्तर।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–		माननीय मंत्री, श्री जयप्रकाश भाई पटेल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि राज्य विधान सभा के माननीय सदस्यों के अपने–अपने विधान–सभा क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत में पॉच–पॉच नलकूप खोदने हेतु अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त था, जिसे समाप्त कर दिया गया है ?	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि पेयजलापूर्ति की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण अवसर माननीय सदस्यों को जनता का आक्रोश झेलना पड़ता है ?	इस पर विभाग का कोई मन्तब्य नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पूर्व की प्रावधान के तहत् माननीय विधायकों को पंचायतवार पॉच–पॉच नलकूप खोदवाने हेतु अनुशंसा करने का अधिकार देने का विचार रखती है, यदि हॉ तो, कब तक, नही तो क्यों ?	राज्य में औसतन प्रति 65 की आबादी पर एक चापाकल उपलब्ध है जबकि भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार प्रति 250 की आबादी पर एक चापाकल का प्रावधान है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्त्तमान में लगभग 3,80,000 चापाकल कार्यरत है। चापाकलों के अत्याधिक निर्माण के फलस्वरुप भू–गर्भ जल के दोहन के कारण भू–गर्भ जल के स्तर में लगातार हुआ ह्रास अब विकट रुप ले रहा है, जिसके फलस्वरुप एक बड़ी आबादी पेयजल की गुणवत्ता से प्रभावित हो रही है। इन्हीं सब कारणों से सरकार द्वारा सतही जल स्त्रोत आधारित जलापूर्ति योजनाएँ स्वीकृत की जा रही है और घर–घर जल संयोजन देकर पेयजलापूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। वर्त्तमान में राज्य के 81 विधान सभा क्षेत्र में 7563 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर कार्य की जा रही है, जो लगभग 92 अदद प्रति विधान सभा क्षेत्र है। सरकारी निर्णय के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं से अनाच्छादित दुरस्थ एवं दुर्गम टोलों तथा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों यथा स्कूल, हाट बाजार, ऑगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन आदि स्थानों पर जनहित को ध्यान में रखते हुए नया नलकूप लगाने की कार्रवाई प्रकियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 8/अ०सू०–09/2013 918 दिनांक 22/2/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का ज्ञापांक–606, दिनांक–20.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.02.14
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

22.01.14